



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6452

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19262 वर्ष 2025

नवीन शर्मा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अक्षय कुमार शुक्ला, रवीन्द्र पाल सिंह

कश्यप

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के.एस. कश्यप और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह की दलीलें सुनीं।
2. श्री गौरव सिंह ने न्यायालय में बयान दिया है कि उन्हें सभी निर्देश भलीभांति प्राप्त हैं और वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं। याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। दोनों पक्षों की सहमति से याचिका पर प्रारंभिक चरण में निर्णय लिया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता पंचायत सचिव होने का दावा करता है। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए गबन और अनियमितता के आरोपों के कारण एक तथ्य-जांच की गई और उसके बाद 18.09.2025 को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील करेगा, लेकिन इस बीच, अपील के निपटारे तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वैसे भी विचाराधीन आदेश उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियम, 1947 की धारा 258(2) के तहत अपील योग्य है और रिट याचिकाकर्ता अपील कर सकता है।
5. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह 22.01.2026 तक संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील दायर करे, जिसका निर्णय 15.03.2026 तक किया जाएगा।
6. अपील पर निर्णय होने तक, आक्षेपित आदेश के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
7. इस आदेश को पारित करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय कर लिया है।
8. वर्तमान आदेश के अंतर्गत मिलने वाली सुरक्षा और लाभ तभी लागू होंगे, जब याचिकाकर्ता समय सीमा का पालन करे और आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन न करे।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

9 जनवरी, 2026

राजेश